UPAN010013272014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अम्बेडकर नगर
पीठासीनः भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता (H.J.S)
JO Code: UP 1874
CNR:UPAN010013272014
सत्र परीक्षण संख्या :–57/2014

सरकार————————————————————————————————अभियोजन

बनाम

1. रवि यादव पुत्र रामसूरत यादव **(दौरान विचारण मृतक)**
2. बेचू यादव आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशुन यादव
3. बब्लू यादव आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र मुन्ना प्रसाद यादव
4. सुनील कुमार आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद यादव

समस्त निवासीगण ग्राम–बरामदपुर जरियारी, थाना–महरूआ, जनपद–अम्बेडकर नगर।

————————————अभियुक्तगण

मु0अ0सं0 संख्याः–19/2013
धारा–323,336,504,506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट
थाना–महरूआ,
जनपद–अम्बेडकर नगर

निर्णय

1. अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव एवं सुनील कुमार यादव का विचारण उपर्युक्त विशेष सत्र परीक्षण वाद में थाना–महरूआ, जनपद–अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–19/2013, अन्तर्गत धारा–323,336,504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस.सी./एस.टी एक्ट के आधार पर किया गया। उक्त प्रकरण की पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश के स्थानांतरण आदेश के अनुक्रम में इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. प्रकरण में विचारण के दौरान **अभियुक्त रवि यादव** की मृत्यु होने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2024 को आदेश पारित करते हुये अभियुक्त रवि यादव के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गई।

3. संक्षेप में अभियोजन तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा विजय कुमार पुत्र शान्त प्रकाश, निवासी ग्राम बरामदपुर जरियारी, थाना महरूआ, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना महरूआ पर एक लिखित तहरीर दिनांक 27.03.2013, जिसपर प्रदर्श क–1 अंकित है

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.09 17:00:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस आशय की दी गई कि दिनांक–27.03.2013 को मजदूरी न देने की बात को लेकर समय लगभग 6:00 बजे शाम को मेरी पत्नी शर्मिला देवी को जाति सूचक गालियां देते हुए रवि यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव, सुनील यादव, जो मेरे गांव के निवासी हैं, मारने पीटने लगे। जब आवाज सुन कर सन्तोष पुत्र गुरु प्रसाद व बजरंगी पुत्र सुखई, राजेश कुमार पुत्र रामसरन व राकेश कुमार पुत्र रामसरन आदि लोग बचाने आये तो उन्हें भी इन सभी लोगों ने लाठी डण्डा एवं ईट गुम्मा चलाकर मारा पीटा व चोट पहुँचायी। जब गाँव के देवी प्रसाद पुत्र पवास, भुखाली पुत्र धन्जू, ज्ञान प्रकाश पुत्र रामदीन, रमेश कुमार पुत्र तिल्दू आदि लोग आ गये तो सभी लोग जान–माल की धमकी देते हुए भाग गये। सभी चोटहिलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जावे।

4. वादी उपरोक्त की उपर्युक्त आशय की लिखित तहरीर जिस पर प्रदर्श क–1 अंकित है, के आधार पर थाना महरूआ, अम्बेडकर नगर पर मु0अ0सं0 19/2013, धारा–323,336,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत अभियुक्तगण रवि यादव, बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया तथा तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण रवि यादव, बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव के विरूद्ध आरोप–पत्र धारा–323,336,504,506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला यह अभिकथित करते हुये कि प्रकरण धारा–3(1)X एस.सी.एस.टी. ऐक्ट से संबंधित है तथा सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, तद्नुसार उक्त प्रकरण दिनांक 21.06.2014 को सत्र सुपुर्द किया गया।

6. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 10.11.2014 को तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर द्वारा धारा–323/34,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को अभियुक्तगण सुनील कुमार यादव, बब्लू यादव व बेंचू यादव के विरूद्ध धारा 336/34 का आरोप सृजित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 वादी विजय कुमार, पी.डब्लू. 2 संतोष कुमार, पी.डब्लू. 3 बजरंगी, पी.डब्लू. 4 सुशीला, पी.डब्लू.5 राजेश कुमार, पी.डब्लू.6 राकेश कुमार, पी.डब्लू.7

भूखाली, पी.डब्लू.8 कां0 राम सहाय सरोज, पी.डब्लू. 9 फहद सुहेल, पी.डब्लू. 10 विवेचक खलीकुज्जमा खां तथा पी.डब्लू. 11 शर्मिला को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है।

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र	अभियोजन साक्षीगण
1.	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	पी.डब्लू. 1 विजय कुमार
2.	प्रदर्श क–2	चिक एफ.आइ.आर.	पी.डब्लू. 8 कां0 राम सहाय सरोज
3.	प्रदर्श क–3	कायमी जी0डी0	पी.डब्लू. 8 कां0 राम सहाय सरोज
4.	प्रदर्श क–4	आघात आख्या बजरंगी	पी.डब्लू. 9 डॉ0 फहद सुहेल
5.	प्रदर्श–क–5	आघात आख्या शर्मिला	पी.डब्लू. 9 डॉ0 फहद सुहेल
6.	प्रदर्श क–6	आघात आख्या सुशीला	पी.डब्लू. 9 डॉ0 फहद सुहेल
7.	प्रदर्श क–7	आघात आख्या संतोष	पी.डब्लू. 9 डॉ0 फहद सुहेल
8.	प्रदर्श क–8	आघात आख्या राजेश कुमार	पी.डब्लू. 9 डॉ0 फहद सुहेल
9.	प्रदर्श क–9	आघात आख्या भूखाली	पी.डब्लू. 9 डॉ0 फहद सुहेल
10.	प्रदर्श क–10	नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 10 विवेचक खलीकुज्जमा खां
11.	प्रदर्श क–11	आरोप–पत्र	पी.डब्लू. 10 विवेचक खलीकुज्जमा खां

<u>अभियोजन पक्ष मुख्यपरीक्षा साक्ष्य</u>

9. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 विजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं मुल्जिमान को जानता पहचानता हूँ, जिनके नाम रवि यादव, बब्लू, सुनील, बेचू हैं। ये लोग मेरे गांव के हैं, जाति के यादव हैं। मैं जाति का चमार हूँ। घटना आज से लगभग तीन साल पहले की है। 6:00–7:00 बजे शाम का समय था। मजदूरी के लेन देन का विवाद था। जिसको लेकर मेरी पत्नी शर्मिला को मुल्जिमान भोसड़ी वाले, चमार मादरचोद की गाली दिये और मारने पीटने लगे। मेरी पत्नी ने शोर किया तो बजरंगी, सन्तोष, सुशीला, राजेश कुमार, भुखाली बीच बचाव करने पहुँचे तब मुल्जिमानों ने उन्हें भी लाठी डण्डा से मारा–पीटा, गाली गुप्ता दिया। शोर पर गवाह देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, रमेश कुमार व बहुत से लोग आ गये तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घ ाटना के बाद सभी चोटहिलों के साथ थाना महरूआ गये। मंशाराम से दरख्वास्त लिखवाकर मैंने थाना महरूआ में दी थी, जिसके आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई। साक्षी को लिखित तहरीर शामिल पत्रावली पढ़कर सुनाने पर गवाह ने कहा कि यही मैंने बोलकर लिखाया था और तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उस

दिन काफी रात हो गयी थी। इसलिए डॉक्टरी मुआइना चोटहिलों का नहीं हो पाया। दूसरे दिन पुनः सभी लोग थाना महरुआ गये। थाना महरुआ से सिपाही लेकर सरकारी अस्पताल अकबरपुर आया, जहां सभी चोटहिलों का डॉक्टरी मुआयना हुआ। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।

10. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2. संतोष कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं कक्षा सात तक पढ़ा हूँ, मैं हरिजन जाति का हूँ। होली का दिन था। घटना आज से लगभग 12 साल हो रहा है। अभियुक्त रवि यादव का झगड़ा भुखाली से हुआ था। झगड़ा किस कारण से हुआ था, मुझे इस समय याद नही है। वादी मुकदमा विजय कुमार मेरे गांव के है। यह मुकदमा विजय कुमार ने लिखाया था। मुझे चोट आयी थी, कैसे चोट आयी थी, मुझे याद नही है। मेरा मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. अकबरपुर में पुलिस द्वारा कराया गया था। मेरा एक्सरे जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ था। मेरे अलावा शर्मिला को चोट आयी थी, चोट कैसे आयी थी मुझे जानकारी नही है और अन्य लोगों को चोटे कैसे आयी थी, मुझे जानकारी नही है। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।''

11. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.3 बजरंगी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं कक्षा पांच तक पढ़ा हूँ। मैं चमार जाति का हूँ। घटना दिनाँक 27.03.2013 को सायं करीब छः बजे की है। मेरे गांव की शर्मिला है, मेरी बिरादरी की है। शर्मिला मेरे गाव के अभियुक्त रवि यादव से अपना बकाया मजदूरी मांगने उसके घर गयी हुई थी। इसी बात पर अभियुक्त रवि यादव ने शर्मिला को जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देकर बोला की आज होली का दिन है, तुम्हे मालूम नहीं है, आज पैसा मांग रही हो। अभियुक्तगण रवि यादव के साथी बेंचू यादव, बब्लू यादव, सुनील यादव ने शर्मिला को चमाई जाति की भद्दी भद्दी गाली देते हुए लाठी डण्डा, ईट गुम्मा से मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार सुनकर मैं, संतोष, राजेश, राकेश, रामसरन बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो, अभियुक्तगण ने हम लोगों को भी लाठी डण्डा व गुम्मा से काफी मारा पीटा और उसके बाद अभियुक्तगण हम लोगों को मारते पीटते हम लोगों के घर तक पहुंच गये। मेरा और राजेश के घर पर लगा सीमेन्ट का शेड लाठी डण्डा से मार कर तोड़ दिये। मेरे गांव के देवी प्रसाद, भुखाली, रमेश कुमार मौके पर आये तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। फिर हम लोग विजय के साथ थाने पर गये थे। यह मुकदमा विजय ने लिखवाया था। पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. अकबरपुर में कराया गया था।''

12. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.4 सुशीला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं निशानी अंगूठा लगाती हूँ। घटना हुए 12–13 साल हो रहा है। घटना शाम करीब 6.00 बजे की है। मेरे गांव के विजय कुमार की पत्नी शर्मिला मजदूरी मांगने के लिए गांव के रवि यादव, बेचू यादव व बब्लू यादव व सुनील यादव के यहां गई थी। जहां सभी अभियुक्तगण ने शर्मिला को जातिसूचक शब्दों से गाली गलौच

देते हुए लाठी डण्डा से मारे पीटे थे। उसके बाद मेरा लड़का शर्मिला को बचाने गया तो मेरे लड़के राजेश को भी मारा पीटा। उसके बाद अभियुक्तगण मेरे घर आ गये। लाठी डण्डा लेकर मुझे व मेरे बेटे को मारे पीटे थे, जिससे मुझे व मेरे लड़के को चोट आयी थी। पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल सरकारी अस्पताल अकबरपुर में कराया था। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।''

13. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.5 राजेश कुमार ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं कक्षा 8 तक पड़ा लिखा हूँ। मैं चमार जाति का हूँ। घटना दिनांक 27.03.2013 की शाम 6.00 बजे की है। मेरे गांव के विजय कुमार व विजय कुमार की पत्नी शर्मिला मजदूरी का काम करती थे और अपना बकाया मजदूरी मांगने रवि यादव के यहां गई थी तो अभियुक्त रवि यादव ने चमारन जाति की जातिसूचक शब्द से गाली गुप्ता देने लगे और रवि यादव के साथ सुनील यादव व बब्लू यादव, बेचू यादव लाठी डण्डा, ईंट गुम्मा से शर्मिला को मारने पीटने लगे। जब, मैं व मेरे भाई राकेश, मेरी मां सुशीला व गांव के सन्तोष, देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश व रमेश कुमार बीच बचाव करने गये थे तब अभियुक्तगण रबी यादव, सुनील यादव, बब्लू व बेचू यादव ने उन्हें भी लाठी डण्डा ईट गुम्मा से मारे पीटे थे और ईट का गुम्मा फैंक कर अभियुक्तगण मार रहे थे। मेरे घर पर लगा सीमेन्ट का पटरा अभियुक्तगण ने तोड़ दिया था। जब हम लोगों ने हल्ला गुहार मचाया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। अभियुक्तगण के मारने पीटने से मुझे व मेरी मां सुशीला, शर्मिला, विजय कुमार, सन्तोष, बजरंगी, भुखाली को चोटें आयी थी। यह मुकदमा विजय कुमार ने लिखाया था। हम लोग भी थाने पर गये थे। पुलिस द्वारा हम लोगों का मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया गया था। सी.ओ. साहब ने घटना के सम्बंध में पूछताछ किया था।''

14. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.6 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं कक्षा 7 तक पढ़ा लिखा हूँ। मैं चमार जाति का हूँ। घटना दिनाक 27.03.13 की है समय शाम 6:00 बजे की है। मेरे गांव के विजय कुमार की पत्नी शर्मिला गांव के रवी यादव से अपनी बकाया मजदूरी मंगाने गयी थी। इसी बात पर रवि यादव ने नाराज होकर शर्मिला को जाति सूचक शब्द से गाली गलौज दिये थे और गाली देकर घर से भगा दिये। उसके बाद अभियुक्त रवि यादव और उनके साथी बेचू यादव, किशन कुमार और बब्लू यादव सुनील कुमार लाठी डण्डा और ईट का गुमा लेकर शर्मिला के घर पर आये और उसे लाठी डण्डा और ईट के गुम्मा से मारने पीटने लगे। जब शर्मिला ने हल्ला गुहार मचाया तो हल्ला गुहार सुनकर मैं और मेरा भाई राकेश मेरी माँ सुशीला देवी, सन्तोष और बजंरगी तमाम लोग बचाने दौड़े तो उपरोक्त अभियुक्तगण हम लोगों को भी लाठी डण्डा, ईट के गुम्मा से मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्द चमार सियार की भददी भददी गाली देने लगे। जब हम लोगों ने हल्ला गुहार मचाया तो गांव के देवी प्रसाद, भुखाली और राम प्रकाश, रमेश पहुंचे तो अभियुक्तगण ने भुखाली को भी मारा पीटा। उसके बाद जब गांव के

तमाम लोग इक्ठठा हो गये तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। हम लोगों को काफी चोटे आयी थी। मुझे बहुत ज्यादा चोटे नहीं आयी थी, इसलिए मैंने अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था। घटना मैंने अपनी आंखो से देखा था। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।''

15. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.7 भुखाली ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं कक्षा पाँच तक पढ़ा लिखा हूँ। मैं चमार जाति का हूँ। घटना वर्ष 2013 को सायं करीब छः बजे की है। होली का दिन था। मेरे गांव की शर्मिला जो मजदूरी की काम करती है। अपना बकाया मजदूरी अभियुक्त रवि यादव के यहाँ मांगने गयी थी। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण रवि यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव ने जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देकर लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार सुनकर मैं, देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, राकेश, राजेश पहुंचे तो अभियुक्तगण ने हम सबको भी मारा पीटा था और अभियुक्तगण ईट का गुम्बा से फेंककर मार रहे थे। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। घटना मैंने अपनी आखों से देखा था। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।''

16. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.8 हेड कां0 राम सहाय सरोज ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मु०अ०सं०–19/2013, दिनाँक 27.03.2013 को थाना महरूआ जिला अम्बेडकर नगर में पंजीकृत हुआ था, जो तत्कालीन थाना प्रभारी महरूआ के आदेश के अनुक्रम में मेरे द्वारा वादी मुकदमा विजय कुमार के प्रार्थना पत्र के आधार पर अक्षरशः मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया था। पत्रावली में सलग्न कागज संख्या–4 अ/1 मूल चिक एफ.आई.आर. है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 अ/2 कायमी जी.डी. संख्या 16 है, जो दिनांक–27.03.2013 को मेरे द्वारा किता किया गया है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।''

17. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.9 डॉक्टर फहद सुहेल सहायक आचार्य, विभाग एनेस्थीसिया ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं दिनांक–28.03.2013 को सी.एच.सी. अकबरपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनाँक को समय 01.15 पी.एम. पर मजरूब बजरंगी पुत्र सुखई निवासी ग्राम बरामदपुर जरियारी, थाना महरूआ, जिला अम्बेडकर नगर को कां० आशीष कुमार थाना महरूआ द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसको निम्न लिखित चोटे आयी थीः–

चोट नम्बर–01 सुपर फीशियल खरोंच जिसकी साइज 08X0.5 सेन्टीमीटर में था, जो बांयी सीने के निप्पल से 6.5 सेन्टीमीटर नीचे था।

चोट नम्बर–02 लालिमा युक्त निशान सीने के बांयी तरफ था, जिसकी साइज 5X5

सेन्टीमीटर था, जो पहली चोट के ठीक नीचे था। चोटें सामान्य प्रकृति की थी, जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आ सकती हैं। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 अ/1 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–04/डाला गया।

दिनाँक–28.03.2013 को समय 02.04 पी.एम. पर मजरूबा शर्मिला पत्नी विजय कुमार, निवासी उपरोक्त को का० आशीष कुमार थाना महरूआ द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसको निम्न लिखित चोटें आयी थीः–

चोट नम्बर–01 खरांस चोट जिसकी साइज 1.5X1 सेन्टीमीटर थी, जो बांये हाथ के कोहनी पर सूजन थी, जिसकी साइज 15X9 सेन्टीमीटर कलाई के 18 सेन्टीमीटर ऊपर थी। चोट की अवधि एक दिन के अन्दर की थी।

चोट नम्बर–02 निलगू निशान कमर के निचले भाग पर 9X0.5 सेन्टीमीटर के आकार में था जो कूल्हे के हड्डी से 12 सेन्टीमीटर नीचे था। मेरी राय में चोट नम्बर–1 की प्रकृति जानने के लिए जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ रेडियोलाजिस्ट को रेफर किया गया था। चोट नम्बर–02 सामान्य प्रकृति की थी। जो किसी कुन्द या किसी ठोस वस्तु से आ सकती थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5अ/2 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–05 डाला गया।

दिनांक–28.03.2013 को समय 02.34 पी.एम. पर मजरूबा सुशीला पत्नी रामसरन, निवासी उपरोक्त को का० आशीष कुमार थाना महरूआ द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसको निम्नलिखित चोटे आयी थीः–

चोट नम्बर–01 निलगू निशान जिसकी साइज 3X2 सेन्टीमीटर में था, जो जांग के आगे की तरफ था, जिसकी अवधि एक दिन के अन्दर थी।

चोट नम्बर–02 निलगू निशान, जिसकी साइज 06X1.5 सेन्टीमीटर में था, जो पीछे पीठ पर 20 सेन्टीमीटर नीचे था।

चोट नम्बर–03 इन्डेक्स फिगर में दर्द की शिकायत बता रही थी, कोई जाहिरा चोट नहीं थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। चोटो की अवधि एक दिन के अन्दर थी, जो किसी कुन्द या ठोस वस्तु से आ सकती है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5अ/3 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–06 डाला गया।

दिनांक–28.03.2013 को समय 01.30 पी.एम. पर मजरूव संतोष कुमार पुत्र गुरू प्रसाद, निवासी उपरोक्त को कां० आशीष कुमार थाना महरूआ द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसको निम्नलिखित चोटे आयी थीः–

चोट नम्बर–01 एक टांका लगा हुआ घाव व सूजन युक्त, जिसकी साइज 10X2 सेन्टीमीटर में टांका लगा हुआ, धाव स्थित है, जो दाहिनी भौं के ऊपर सिर पर स्थित था।

चोट नम्बर–02 निलगू निशान, जिसकी साइज 10X06 सेन्टीमीटर में थी, जो दाहिनी कोहनी के 1.5 सेन्टीमीटर ऊपर बांह पर स्थित था।

चोट नम्बर–03 मजरूब बांये फोर आर्म पर दर्द की शिकायत बता रहा था। राय–मेरे द्वारा चोट नम्बर–1 व 2 को एक्सरे हेतु जिला अस्पताल के लिए सन्दर्भित किया गया था। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। जो किसी कुन्द या ठोस वस्तु के लगने से आ सकती। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 अ/4 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–07 डाला गया।

दिनांक–28.03.2013 को समय 03.04 पी.एम. पर मजरूब राजेश कुमार पुत्र राम सरन, निवासी उपरोक्त को कां० आशीष कुमार थाना महरूआ द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसको निम्नलिखित चोटे आयी थीः–

चोट नम्बर–01 नीलगू निशान जिसकी साइज 7X1 सेन्टीमीटर में था, जो बांये निप्पल 09 सेन्टीमीटर नीचे मौजूद था।

चोट नम्बर–02 खरोंच नीलगू जिसकी साइज 6X0.5 सेन्टीमीटर में था, जो चोट नम्बर 1 के 3 सेन्टीमीटर नीचे था।

चोट नम्बर–03 फटा घाव जिसकी साइज 1 सेन्टीमीटर में था, जो दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में शीर्ष के मध्य भाग पर स्थित था।

चोट नम्बर–04 निलगू निशान जिसकी साइज 8X2 सेन्टीमीटर में था जो दाहिनी पैर के जांघ ा के घुटने के जोड़ (Popleteal) से 2 सेन्टीमीटर नीचे स्थित था। राय–उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कुन्द या ठोस वस्तु के लगने आ सकती है। सभी चोटे एक दिन के अन्दर की थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5अ/5 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

दिनांक–28.03.2013 को समय 01.56 पी.एम. पर मजरूब भुखाली पुत्र धन्जू, निवासी उपरोक्त को कां० आशीष कुमार थाना महरूआ द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसको निम्नलिखित चोटें आयी थीः–

चोट नम्बर–01 बांये कान में दर्द की शिकायत बता रहा था। चोटहिल को कोई जाहिरा चोट का निशान नही था।

चोट नम्बर–02 मजरूब दाहिने कलाई में दर्द की शिकायत बता रहा था। कोई जाहिरा चोट का निशान नही था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 अ/6 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–09 डाला गया।

18. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.10 खलीकुज्जमा खां ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मुकदमा अपराध सख्या–19/2013, थाना महरूआ अम्बेडकर नगर में दिनांक–27.03.2013 को पंजीकृत होकर मुझे विवेचना हेतु सी.ओ. पेशी कार्यालय से नकल

चिक व नकल रपट प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन कर मेरे द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना ग्रहण किया गया था। पर्चा नम्बर–1 दिनाँक 28.03.2013 को मेरे द्वारा किता किया गया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया गया था तथा बयान वादी विजय कुमार का लेकर सी.डी. में अंकित किया गया तथा वादी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5अ नक्शा नजरी है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। एफ.आई.आर. लेखक राम सहाय सरोज का बयान लेकर सी.डी. में अंकित किया गया था। मजरूबों का मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया था। पर्चा नम्बर–2 दिनांक–29.03.2013 को किता किया था, जिसमें बयान गवाह मजरूब श्रीमती शर्मिला, संतोष कुमार, बजरंगी, सुशीला, राजेश कुमार, भुखाली व चश्मदीद साक्षी राकेश, देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश का लेकर सी.डी. में अंकित किया गया था। पर्चा नम्बर–3 दिनाँक 01.04.2013 को किया था, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–41 ए द०प्र०सं० की नोटिस जारी किया गया तथा थानाध्यक्ष महरूआ को नोटिस की तामीला हेतु निर्देशित किया गया था। पर्चा नम्बर–4 दिनांक–03.04.2013 को किता किया था, जिसमें अवलोकन संयुक्त प्रार्थना पत्र बजरंगी, सुशीला, भुखाली, संतोष, राजेश कुमार का पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को सम्बोधित शपथ पत्र दिनाँक 01.04.2013 का अपर पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था, जिसका अवलोकन करके सी.डी. में अंकित किया गया था तथा मजीद बयान शपथकर्ता बजरंगी, भुखाली, संतोष, सुशीला, राजेश कुमार का बयान लेकर सी.डी. में अंकित किया गया था। पर्चा नम्बर–5 दिनाँक 05. 04.2013 को किता किया था, जिसमें बयान अभियुक्तगण रबी यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव, सुनील कुमार यादव का लेकर सी.डी. में अंकित किया था। पर्चा नम्बर–6 दिनाँक 07.04. 2013 को किता था। मजरूब संतोष कुमार व शर्मिला के एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया। पर्चा नम्बर–7 दिनाँक 12.04.2013 को किता किया था, जिसमें गवाह रमेश कुमार का तलाश किया गया नहीं मिला। पर्चा नम्बर–8 दिनाँक 18.04.2013 को किता किया था, जिसमें गवाह रमेश कुमार का बयान अकित किया था तथा अभियुक्तगण रवि यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार यादव के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार आरोप पत्र संख्या–03/2013, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 336 आई.पी.सी. व धारा 3(1)x एस.सी./एस.टी. एक्ट में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जो पत्रावली संलग्न कागज संख्या–3अ आरोप पत्र है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।''

19. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.11 शर्मिला ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं कक्षा आठ तक पढ़ी लिखी हूँ। घटना को आज से लगभग 12 वर्ष हो रहा है। घटना सायं लगभग 06:00 बजे की है। मैं मजदूरी मांगने के लिए अभियुक्त रवि यादव के

घर गयी थी, तब वहां रवि यादव के साथ अभियुक्तगण बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव भी मौजूद थे। तब अभियुक्तगण ने मुझे जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया और बोले कि तुम्हें तुम्हारी मजदूरी नहीं मिलेगी और जान से मारने की धमकी दिये थे। मैं रामसरन के घर के सामने खडन्जा पर खड़ी थी, वहीं पर अभियुक्तगण रवि यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव ने मुझे पुनः जाति सूचक शब्द चमाईन जाति की गाली देते हुए लात मूका व डण्डा से मारने पीटने लगे, जब मैंने हल्ला गुहार मचाया तो मेरे गांव के संतोष, बजरंगी, राजेश आकर बीच बचाव करने लगे तो अभियुक्तगण ने इन सबको लाठी डण्डा से व ईट गुम्बा चलाकर मारने पीटने लगे, जिससे हम सभी को काफी चोटें आयी थी। जब हम लोगों ने हल्ला गुहार मचाया तो गांव के देवी प्रसाद, भुखाली, ज्ञान प्रकाश आये, तब अभियुक्तगण जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देते हुए भाग गये। यह मुकदमा मेरे पति विजय कुमार ने थाना महरूआ में प्रार्थना पत्र देकर पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. अकबरपुर में कराया गया था। मेरा एक्सरे जिला अस्पताल में हुआ था। मैंने सी.ओ. साहब को घटना स्थल दिखाया था और सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।''

<u>अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण व निष्कर्ष</u>

20. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है तथा तथ्य के साक्षीगण द्वारा द्वारा गलत साक्ष्य देना व अन्य साक्षीगण द्वारा औपचारिक साक्ष्य देना कहा गया है। अभियुक्तगण विशेष कथन में गांव की चुनावी राजनीति के कारण झूठा मुकदमा दायर कराये जाने का कथन किया है तथा मुकदमा रंजिशन चलाये जाने का कथन किया गया।

21. बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य न देना कहा गया और न ही अपने बचाव में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

22. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सविस्तार सुने गए। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

23. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियोग कथानक पूर्णतः साबित है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी शर्मिला देवी, बजरंगी, सुशीला, संतोष, राजेश कुमार व भुखाली को एक राय होकर साशय लाठी डण्डा से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई तथा वादी मुकदमा की पत्नी को गाली–गलौज देकर अपमानित किया गया है तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुये उसे जातिसूचक शब्दों से भूषित करके अपमानित किया गया। अभियोजन पक्ष अपने साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध

विरचित किये गए आरोप साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिक–से–अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

24. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। गांव की राजनीति की रंजिश के कारण झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। उनके साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं, दोषमुक्त किया जाये।

25. मैंने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

26. वादी मुकदमा ने प्रस्तुत प्रकरण/अभियोग की घटना दिनांक 27.03.2013 समय लगभग शाम 06.00 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 27.03.2013 को समय 21.05 बजे संबंधित थाना महरूआ, अम्बेडकर नगर पर अंकित करायी गयी, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियोग पंजीकृत कराये जाने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया तथा जैसा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना वर्णित है, उसकी तत्काल रिपोर्ट थाने पर अंकित करायी गयी है।

27. अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु कुल 11 गवाह परीक्षित कराये हैं। अभियोजन कथानक को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष के गवाहों पर होता है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अपने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है, अथवा नहीं?

28. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा विजय कुमार परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया गया है तथा यह मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मुल्जिमान के नाम रवि यादव, बब्लू, सुनील व बेचू हैं। ये लोग उसके गांव के हैं तथा जाति के यादव हैं। वह जाति का चमार है। घटना आज से लगभग तीन साल पहले की है, 6:00–7:00 बजे शाम का समय था। मजदूरी के लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर उसकी पत्नी शर्मिला को मुल्जिमान भोसड़ी वाले, चमार, मादरचोद की गाली दिये और मारने पीटने लगे। उसकी पत्नी ने शोर किया तो बजरंगी, सन्तोष, सुशीला, राजेश कुमार, भुखाली बीच बचाव करने पहुँचे तो मुल्जिमानों ने इन लोगों को भी लाठी डण्डा से मारा–पीटा, गाली गुप्ता दिया। शोर पर गवाह देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, रमेश कुमार व बहुत से लोग आ गये तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उस दिन काफी रात हो गयी थी। इसलिए डॉक्टरी मुआइना चोटहिलों का नहीं हो पाया। दूसरे दिन पुनः सभी लोग थाना महरुआ गये। थाना महरुआ से सिपाही

लेकर सरकारी अस्पताल अकबरपुर आया, जहां सभी चोटहिलों का डॉक्टरी मुआइना हुआ। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''घटना वाले दिन मैं घर पर था, मैं मुल्जिमानों के घर गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं गया था, गाली गलौज दे रहे थे, तब मैं पहुंचा। मेरी पत्नी अकेले गई थी। मेरी पत्नी के अलावा और लोग मजदूरी करने गये थे, गेहूं हम लोगों ने काटा था। घटना के लगभग एक महीने पहले गेहूं काटा था। घटना होली के दिन की है।.... मेरी पत्नी मुझसे बताकर गई थी कि मैं रवि यादव के यहां मजदूरी मांगने गयी थी। अन्य मुल्जिमानों के घर मेरा बकाया नहीं था। अन्य मुल्जिमानों के घर मेरा बकाया नहीं था।.... अभियुक्त सुनील, बब्लू, व बेंचू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी पत्नी जब रवि के घर मजदूरी मांगने गयी थी, तब घटना नहीं घटी थी।.... लाठी डण्डा व ईंटा दोनों पक्षों से चल रहा था। हमारे गांव के ज्ञान प्रकाश, देवी प्रकाश, भुखाली, रमेश तमाम लोग आ गये थे, तो मुल्जिमान वहां से भाग गए। मैं चोटहिलों को प्राइवेट वाहन से दवा इलाज कराया, बाद में पुलिस आयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने मंशाराम से लिखवायी थी ।....घटना स्थल मैंने स्वयं सी0ओ0 साहब को दिखाया था।''

29. इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के कथनों से इन तथ्यों को पुष्ट किया है कि इस साक्षी की पत्नी अभियुक्त रवि (मृतक) के यहां अपना मजदूरी का पैसा मांगने गई थी। इस साक्षी ने घटना होली के दिन की होना अपने परिसाक्ष्य में पुष्ट किया है तथा यह तथ्य भी पुष्ट किया है कि उसकी सुनील, बब्लू, व बेंचू से कोई दुश्मनी नहीं है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य स्वाभाविक व प्राकृतिक प्रतीत होता है। यह साक्षी कम पढ़ा–लिखा है तथा मजदूरी करता हैं। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से तहरीर में अंकित कथनों की पुष्टि होती है। इस साक्षी का साक्ष्य बनावटी प्रतीत नहीं होता है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

30. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 संतोष कुमार परीक्षित हुये हैं। यह साक्षी चोटहिल साक्षी की श्रेणी में। इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया गया है कि होली का दिन था। अभियुक्त रवि यादव का झगड़ा भुखाली से हुआ था। झगड़ा किस कारण से हुआ था, मुझे इस समय याद नहीं है। यह मुकदमा विजय कुमार ने लिखाया था। मुझे चोट आयी थी, कैसे चोट आयी थी, मुझे याद नहीं है। मेरे अलावा शर्मिला को चोट आयी थी, चोट कैसी आयी थी, मुझे जानकारी नही है और अन्य लोगों को चोटे कैसे आयी थी, मुझे जानकारी नही है। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** साक्षी ने कथन किया है कि ''शर्मिला व भुखाली से मुल्जिमान का जो झगड़ा हुआ था, उसको अपनी आंखों से नहीं देखा था। होली का त्यौहार था। मैं शराब पीया हुआ था और गिर पड़ा, जिससे मुझे चोट आयी।''

31. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 बजरंगी परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनाँक 27.03.2013 को सायं करीब छः बजे की है।

मेरे गांव की शर्मिला है, मेरी बिरादरी की है। शर्मिला गांव के अभियुक्त रवि यादव से अपनी बकाया मजदूरी मांगने उसके घर गयी हुई थी। इसी बात पर अभियुक्त रवि यादव ने शर्मिला को जाति सूचक शब्द से गाली गलौज दिया। अभियुक्तगण, रवि यादव के साथी बेंचू यादव, बब्लू यादव, सुनील यादव ने शर्मिला को चमाई जाति की भद्दी भद्दी गाली देते हुए, लाठी डण्डा, ईट गुम्मा से मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार सुनकर मैं, संतोष, राजेश, राकेश, रामसरन बीच–बचाव करने पहुंचे तो, अभियुक्तगण ने हम लोगों को भी लाठी डण्डा व गुम्मा से काफी मारा पीटा। उसके बाद अभियुक्तगण हम लोगों को मारते पीटते हम लोगों के घर तक पहुंच गये। मेरा और राजेश के घर पर लगा सीमेन्ट का शेड लाठी डण्डा से मारकर तोड़ दिये। मेरे गांव के देवी प्रसाद, भुखाली, रमेश कुमार मौके पर आये तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। फिर हम लोग विजय के साथ थाने पर गये थे। यह मुकदमा विजय ने लिखावाया था।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मेरा मेडिकल हुआ था। पुलिस वाले कराये थे।...मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताया कि मुझे कहां चोट लगी है। मुझे गुम्मा के मारने से चोट आयी थी। शर्मिला के घर से मेरा घर दो सौ मीटर होगा। मुल्जिमान से मेरी कोई व्यक्तिगत दुष्मनी नहीं है। मैं मजदूरी करता हूं, मेरा मुल्जिमान के यहां बकाया नहीं था। घटना के दिन होली का त्यौहार था।...मेरा बयान नोटरी बयान हल्फी वकील साहब ने बनाकर विवेचक को दिया था। यह मैं अपनी मर्जी से वकील साहब से बनवाकर दिया था।.... इस साक्षी ने आगे जिरह में कहा कि मेरे घर से रवि के घर की दूरी लगभग 150 मीटर है। शर्मिला व अभियुक्त रवि के घर के बीच में काफी मकान हैं। शर्मिला जब रवि के घर गयी थी तो मैं वहां नहीं था। शर्मिला अभियुक्त रवि के घर अकेले गयी थी। लगभग 10 मिनट हल्ला गुहार की आवाज मुझे सुनायी पड़ा था।''

32. इस साक्षी की जिरह का अवलोकन किया तो इस प्रकार इस साक्षी ने कथित घटना में स्वयं को गुम्बे की चोट आना पुष्ट किया है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई सारवान तथ्य उद्घाटित नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो।

33. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 4 सुशीला परीक्षित हुई है। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया गया है कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं। घटना शाम करीब 6.00 बजे की है। विजय कुमार की पत्नी शर्मिला मजदूरी मांगने के लिए गांव के रवि यादव, बेचू यादव व बब्लू यादव व सुनील यादव के यहां गई थी, जहां सभी अभियुक्तगण ने शर्मिला को जातिसूचक शब्दों से गाली गलौच देते हुए लाठी डण्डा से मारे पीटे था। उसके बाद मेरा लड़का शर्मिला को बचाने गया तब मेरे लड़के राजेश को भी मारे पीटे। उसके बाद अभियुक्तगण मेरे घर आ गये। लाठी डण्डा लेकर मुझे व मेरे बेटे को मारे पीटे थे, जिससे

मुझे व मेरे लड़के को चोट आयी थी। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मेरा मुल्जिमान से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। मेरा घर मुल्जिमान बब्लू, सुनील, रवि के घर के बगल में है। मकान सटा नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। शर्मिला की मजदूरी रवि यादव के यहां बकाया था। शर्मिला वापस आकर मुझे बतायी थी कि मेरी मजदूरी बकाया है। तब मुझे जानकारी हुई। मैंने सी0ओ साहब को अपने बयान में शर्मिला को मुल्जिमान ने किस स्थान पर मारा पीटा था व गाली गुप्ता दिया था बताया था, अगर सी0ओ0 साहब ने ये बात मेरे बयान में नहीं लिखा तो उसका कारण नहीं बता सकती। घटना 12–13 साल पहले की है। शाम सात बजे की है। आगे जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि होली का त्योहार था, मुझे गुम्बे से, मेरे दाहिने सीने पर चोट आयी थी, और कहीं चोट नहीं आयी थी।''

34. इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य से यह स्पष्ट तौर पर साबित किया है कि शर्मिला की मजदूरी का पैसा रवि यादव के पास बकाया था और होली का दिन था। इस साक्षी को घटना में चोट आयी थी। यह साक्षी अनपढ़ गांव की देहाती महिला है, इससे अधिक पुष्ट साक्ष्य की इससे उम्मीद किया जाना स्वाभाविक नहीं है। इस साक्षी का साक्ष्य स्वाभाविक साक्ष्य प्रतीत होता है। इस साक्षी के साक्ष्य में कोई बनावटी पन प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक संदेहजनक हो।

35. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 5 राजेश कुमार परीक्षित हुये है। यह साक्षी भी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 27.03.2013 की शाम 6.00 बजे की है। विजय कुमार की पत्नी शर्मिला मजदूरी का काम करती थी और अपना बकाया मजदूरी मांगने रवि यादव के यहां गई थी तो अभियुक्त रवि यादव ने चमारन जाति की जातिसूचक शब्द से गाली गुप्ता देने लगे और रवि यादव के साथ सुनील यादव व बब्लू यादव, बेचू यादव लाठी डण्डा, ईंट गुम्मा से शर्मिला को मारने पीटने लगे। जब वह और उसका भाई राकेश व मां सुशीला तथा गांव के सन्तोष, देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश व रमेश कुमार बीच बचाव करने गये थे, तब अभियुक्तगण रवि यादव, सुनील यादव, बब्लू व बेंचू यादव ने उन्हें भी लाठी डण्डा ईट गुम्मा से मारे पीटे था और ईट का गुम्मा फैंक कर अभियुक्तगण मार रहे थे। मेरे घर पर लगा सीमेंट का पटरा अभियुक्तगण तोड़ दिये थे। जब हम लोगों ने हल्ला गुहार मचाया तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। अभियुक्तगण के मारने पीटने से मुझे व सुशीला, शर्मिला, विजय कुमार, संतोष, बजरंगी, भुखाली को चोटें आयी थी। यह मुकदमा विजय कुमार ने लिखाया था। हम लोग भी थाने पर गये थे। पुलिस द्वारा हम लोगों का मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया गया था। सी0ओ0 साहब ने घटना के संबंध में पूछताछ किया था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मेरा घर रवि

के घर से 100 मीटर की दूरी पर है। दौरान विवेचना मैंने शपथ–पत्र बनवाकर दिया था। शपथ पत्र मेरे वकील साहब ने बनाकर दिया था। मेरा कोई पैसा अभियुक्तगण के पास बकाया नहीं था। यह कहना सही है कि मैंने अपनी मुख्यपरीक्षा में मुल्जिमानों द्वारा किस स्थान पर मारा पीटा गया था, यह नहीं बताया था। मेरी मुख्य परीक्षा का बयान यदि सी0ओ0 साहब ने मेरे धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में न लिखा हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। जिन लोगों के नाम मैंने घटना में बीच बचाव करने की बतायी है वे सभी मेरे परिवार व खानदान व पड़ोसी हैं। यह कहना गलत है कि जिस तरह से घटना का होना मैंने अपने मुख्य परीक्षा में बताया है ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।''

36. इस प्रकार इस साक्षी ने घटना में स्वयं को चोट आना पुष्ट किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। इस साक्षी द्वारा दौरान विवेचना शपथ–पत्र बनवाकर दिये जाने के कथन को भी पुष्ट किया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक संदेहजनक हो।

37. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 6 राकेश कुमार परीक्षित हुये। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा साक्ष्य दिया है कि घटना दिनाक 27.03.13 समय शाम 6:00 बजे की है। विजय कुमार की पत्नी रवी यादव से अपनी बकाया मजदूरी मंगाने गयी थी जिससे नाराज होकर शर्मिला को जाति सूचक शब्द से गाली गलौज दिये थे। अभियुक्त रवि यादव और उनके साथी बेचू यादव, किशन कुमार और बब्लू यादव सुनील कुमार लाठी डण्डा और ईट का गुमा लेकर शर्मिला के घर पर आये और उसे लाठी डण्डा और ईट के गुम्मा से मारने पीटने लगे। जब शर्मिला ने हल्ला गुहार मचाया वह और उसका भाई राकेश व माँ सुशीला देवी, सन्तोष और बजंरगी तमाम लोग बचाने दौड़े तो अभियुक्तगण हम लोगों को भी लाठी डण्डा, ईट के गुम्मा से मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्द चमार, सियार की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। हल्ला गुहार पर गांव के देवी प्रसाद, भुखाली और राम प्रकाश, रमेश पहुंचे तब अभियुक्तगण ने भुखाली को भी मारा पीटा। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। घटना मैंने अपनी आंखो से देखा था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''शपथ पत्र रजिस्ट्ररी से दिया था। उसका घर रवि यादव के घर से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर है। बीच में चार पांच मकान पड़ते हैं। शर्मिला उसकी भाभी लगती है। मुल्जिमानों ने मुझे गाली गुप्ता और न ही मुझसे कोई विवाद हुआ था। मैंने शपथ पत्र किस तिथि को दिया था, मुझे याद नहीं है। घटना के कितने दिन बाद दिया था, याद नहीं है। मेरे शपथ पत्र देने के पहले व बाद में विवेचक से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और न ही मेरा बयान लिये थे।''

38. इस प्रकार इस साक्षी ने मुल्जिमान का स्वयं का कोई विवाद न होना कहा है और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र दिये जाने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की

है। यद्यपि इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न होता है, किन्तु अब तक साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी की पत्नी अभियुक्त रवि यादव के घर रूपये मांगने गई थी, जिसको लेकर विवाद हुआ और कथित घटना कारित हुई। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा से कोई तथ्य उद्भूत नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक पूरी तरह दूषित हो।

39. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 7 भुखाली परीक्षित हुये हैं। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा साक्ष्य दिया है कि घटना वर्ष 2013 को सायं करीब छः बजे की है। होली का दिन था। उसके गांव की शर्मिला अपना बकाया मजदूरी अभियुक्त रवि यादव के यहाँ मांगने गयी थी। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण रवि यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव ने जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देकर लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार सुनकर वह, देवी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, राकेश, राजेश पहुंचे तो अभियुक्तगण ने सबको भी मारा पीटा था और अभियुक्तगण ईट का गुम्बा से फेंककर मार रहे थे। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। घटना उसने अपनी आखों से देखा था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मेरा मुल्जिमान से कोई विवाद नहीं है। मेरी कोई मजदूरी भी बकाया नहीं थी। शर्मिला मेरे गांव की है। जांच के दौरान विवेचक को मैंने शपथ पत्र दिया था। फिर कहा मैंने कोई शपथ–पत्र दिया गया तो मैंने उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं बनाया। सी0ओ0 साहब ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया था। मेरा धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी।''

40. इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा के विपरीत कथन किये हैं, किन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से अन्य तथ्य के साक्षियों का साक्ष्य दूषित नहीं होता है। इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह साक्षी वादी मुकदमा के गांव व जाति बिरादरी का है और अभियुक्तगण भी इसके गांव के ही है और यह साक्षी ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं को मामले से अपने को बचाने का प्रयास कर रहा हो। इस साक्षी के साक्ष्य से भी सम्पूर्ण अभियोजन कथानक दूषित नहीं होता है।

41. अभियोजन तथ्य की साक्षी पी0डब्लू0 11 वादिनी मुकदमा की पत्नी शर्मिला परीक्षित हुई। यह साक्षी प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना सायं लगभग 06:00 बजे की है। वह मजदूरी मांगने अभियुक्त रवि यादव के घर गयी थी, तो वहां रवि यादव के साथ अभियुक्तगण बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव भी मौजूद थे, तब अभियुक्तगण ने मुझे जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया और बोले कि मजदूरी नहीं मिलेगी और जान से मारने की धमकी दिये थे। वह रामसरन के घर के सामने खडन्जा पर खड़ी थी, वहीं पर अभियुक्तगण

रवि यादव, बेंचू यादव, बब्लू यादव व सुनील यादव ने उसे पुनः जाति सूचक शब्द चमाईन जाति की गाली देते हुए लात, मूका व डण्डा से मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार पर गांव के संतोष, बजरंगी, राजेश आकर बीच बचाव करने लगे तो अभियुक्तगण ने इन सबको लाठी डण्डा से व ईट गुम्बा चलाकर मारने पीटने लगे, जिससे सभी को चोटें आयी। हल्ला गुहार पर गांव के देवी प्रसाद, भुखाली, ज्ञान प्रकाश आये तो अभियुक्तगण जाति सूचक शब्द से गाली गलौज देते हुए भाग गये। यह मुकदमा उसके पति विजय कुमार ने थाना महरूआ में प्रार्थना पत्र देकर पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. अकबरपुर में कराया गया था। सी.ओ. साहब को घटना स्थल दिखाया था। सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिया था।'' **प्रतिपरीक्ष के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तारीख नही बताया है। मैं थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ और अपना हस्ताक्षर बना लेती है। ''**मेरी मजदूरी अभियुक्त रवि यादव के यहा बकाया था।''** अन्य मुल्जिमान के यहां मेरी मजदूरी बकाया नहीं थी। मजदूरी बकाया होने के अलावा कोई अन्य विवाद मेरा मुल्जिमानों से नही था। मैं अभियुक्त रवि यादव के यहां मजदूरी मांगने गयी थी। मजदूरी नहीं मिली तो मैं लौट कर गांव खडन्जे के रास्ते पर राजेश के घर के सामने पंहुची थी। उस समय गांव के संतोष, बजरंगी व राजेश नहीं थे, बाद में आये थे। ''**जहाँ मैं राजेश के घर के सामने खड़ी थी, वहां से मुल्जिम रवि यादव का घर लगभग 2–3 बीघे दूरी पर है। जब मैं मुल्जिम के घर से आ रही थी तो मुल्जिमान भी मेरे पीछे पीछे आने लगे थे। जब मैं रवि यादव के घर गयी थी तो चारों मुल्जिमान वहां पर थे। मार पीट राजेश के घर के सामने हुई थी। उस दिन होली का त्यौहार था। मैंने होली खेला था। मैंने अपने परिवार में ही होली खेली थी। मैं अपने मन से अपना मजदूरी का पैसा मागने गयी थी। क्योंकि रवि यादव बोले थे कि मैं मजदूरी का पैसा तुम्हे दे दूगा। मेरे शरीर पर हाथ में व पैर में चोटे आयी थी।''** घटना के दिन मेरे पति विजय कुमार मेरे साथ थाने पर गये थे। तहरीर किसने दिया था मुझे नही पता है। फिर कहा कि तहरीर मेरे पति ने दिया था।

42. इस प्रकार यह साक्षी वादी मुकदमा की पत्नी है। यह साक्षी प्रकरण की एवं अभियोजन तथ्य की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का पूरी तौर पर समर्थन किया है तथा जिरह में भी साक्षी ने अभियोजन कथानक व तहरीर के कथनों का समर्थन किया है। यह साक्ष मजदूरी पेशा महिला है। इस साक्षी ने अपने जिरह के साक्ष्य से स्पष्ट तौर पर इस तथ्य को साबित किया है कि मैं थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ और अपना हस्ताक्षर बना लेती है। **मेरी मजदूरी अभियुक्त रवि यादव के यहा बकाया था।** अन्य मुल्जिमान के यहां मेरी मजदूरी बकाया नहीं थी। मजदूरी बकाया होने के अलावा कोई अन्य विवाद मेरा मुल्जिमानों से नही था। मैं अभियुक्त रवि यादव के यहां मजदूरी मांगने गयी थी। मजदूरी नहीं मिली तो मैं लौटकर गांव खडन्जे के रास्ते पर राजेश के घर के सामने पंहुची थी। उस समय गांव के संतोष, बजरंगी व राजेश नहीं थे बाद में आये थे। **जहाँ**

मैं राजेश के घर के सामने खड़ी थी वहां से मुल्जिम रवि यादव का घर लगभग 2–3 बीघे दूरी पर है। जब मैं मुल्जिम के घर से आ रही थी तो मुल्जिमान भी मेरे पीछे पीछे आने लगे थे। जब मैं रवि यादव के घर गयी थी तो चारों मुल्जिमान वहां पर थे। मारपीट राजेश के घर के सामने हुई थी। उस दिन होली का त्यौहार था मैंने होली खेला था। मैंने अपने परिवार में ही होली खेली थी। मैं अपने मन से अपना मजदूरी का पैसा मागने गयी थी। क्योंकि रवि यादव बोले थे कि मैं मजदूरी का पैसा तुम्हे दे दूगा। मेरे शरीर पर हाथ में व पैर में चोटे आयी थी। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी का मुख्यपरीक्ष साक्ष्य व जिरह का साक्ष्य पूर्ण रूप से स्वाभाविक व प्राकृतिक साक्ष्य है। इसके साक्ष्य में कोई बनावट नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूरी तौर पर पुष्ट होता है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उद्घाटित नहीं हुआ है, जिससे अभियोजनक कथानक संदेहजनक हो या दूषित हो।

43. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 8 हेड कां0 राम सहाय सरोज द्वारा चिक एफ. आइ.आर. प्रदर्श क–2 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3 को साबित किया गया है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी की श्रेणी में है जिसके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को साबित किया गया है।

44. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 9 डॉक्टर फहद सुहेल परीक्षित हुये है। यह साक्षी विशेषज्ञ चिकित्सक साक्षी है जिनके द्वारा दिनांक 28.03.2013 को सी0एच0सी0 अकबरपुर में इस प्रकरण के मजरूबों का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें मजरूब बजरंगी, शर्मिला, सुशीला, संतोष, राजेश कुमार व भूखाली की आघात आख्या को क्रमशः प्रदर्श 4 लगायत प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है। इस विशेषज्ञ चिकित्सक के साक्ष्य से चोटहिलों को आयी चोटों की पुष्टि होती है। बचाव पक्ष यह तथ्य साबित करने के असफल रहा है कि प्रकरण के चोटहिलों को किसी अन्य प्रकार से चोटें कारित हुई हों।

45. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 10 खलीमुज्जमा खां परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य से नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 व आरोप–पत्र प्रदर्श क–11 को साबित किया गया है। यह साक्षी पुलिस का औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पुलिस प्रपत्रों की सत्यता को साबित किया गया है। प्रकरण के अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। ऐसी दशा में यह स्थापित विधि है कि जहां अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना का समर्थन अपने परिसाक्ष्य से किया जाता है वहां पर औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य का महत्व गौड़ हो जाता है।

46. प्रकरण की घटना प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में जो विरोधाभास आये हैं, वह मामूली प्रकृति के हैं, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक दूषित नहीं होता है। इस स्तर पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार गर्ग बनाम**

राज्य एन.सी.टी. दिल्ली (2020) 2 सुप्रीम कोर्ट 88 और **मुस्ताक बनाम राज्य गुजरात (2020) 7 एस.सी.सी. 237** के प्रकरणों में अवधारित विधि–व्यवस्था का उल्लेख किया जाना समीचीन पाता हूँ।

47. उपरोक्त प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अगर अभियोजन साक्षियों के बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, तो साक्षियों के बयान को मामूली विरोधाभास के आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई समुचित आधार नहीं है। इसी प्रकार **भगवान जगन्नाथ मरकट बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 537** के प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि साक्षियों के बयान में मामूली अन्तर आना स्वाभाविक है और यह उसकी सत्यता को इंगित करता है। उपरोक्त विधि–व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से यह प्रकट होता है कि मामले का तथ्य के साक्षी ग्रामीण परिवेश के रहने वाले कम पढ़े–लिखे व्यक्ति प्रतीत होते हैं और वे कानून की बारीकियों से अनभिज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में घटना के सम्बन्ध में उनके बयान में मामूली भिन्नतायें आना स्वाभाविक है। लेकिन पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में कोई ऐसी महत्वपूर्ण असमानता या भिन्नता नहीं पायी गयी है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को झूठा या अविश्वसनीय माना जा सके।

48. यद्यपि अभियोजन तथ्य के कुछ साक्षीगण के साक्ष्य में कुछ विरोधाभासी व संदेहजनक कथन सामने आये हैं किन्तु वे स्तर पर के साबित नहीं हुये, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक दूषित हो जाए या जैसा अभियोजन कथानक है, उस प्रकार की कोई घटना घटित न हुई हो और कथित घटना में चोटहिलों को चोटें न आयी हों। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयज विधि महत्वपूर्ण हैः–

49. निर्णयज विधि **Koli Lakhmanbhai Chanabhai v. State of Gujarat AIR 2000 SC 210** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि गवाह का साक्ष्य उस सीमा तक स्वीकार्य है जहाँ तक वह अभियोजन का समर्थन करता है। इसी प्रकार निर्णयज विधि **Rameshbhai Mohanbhai Koli v. State of Gujarat (2011) 11 SCC 111** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षद्रोही घोषित किए जाने से गवाह का साक्ष्य पूरी तरह त्याज्य नहीं हो जाता। गवाह के उस हिस्से को स्वीकार किया जा सकता है जो विश्वसनीय हो अन्य साक्ष्यों से **corroborate** होता हो।

50. उपर्युक्त समस्त विवेचना एवं विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयज विधियों के आलोक में प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना के दिनाक, समय व स्थान पर साशय वादी मुकदमा की पत्नी व अन्य चोटहिलों को जोकि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, उनको मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया तथा उनके जीवन को संकटापन्न किया और

उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां दी गई, जिससे लोकशांति भंग होने की संभावना उपत्न्न हुई एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया तथा वादी मुकदमा की पत्नी व अन्य को अनुसूचित जाति का व्यक्ति जानते हुये उन्हें लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली गलौज देकर अपमानित किया गया व उपहति कारित की गई। इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–323/34,336/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप को सिद्ध करने में पूर्णतया **सफल** रहा है। अतः अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार, धारा–323/34, 336/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार को धारा–323/34,336/34, 504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के तहत अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनके जमानतदारों के स्व–बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु अभिरक्षा में लिया जाये।

पत्रावली दोषसिद्ध अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांकः09.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ कोड–यू.पी.1874

लंचबादः–

पत्रावली लंचबाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। दण्ड के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी

व अन्य जोकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, उन्हें सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज दिया तथा उसको मार पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, उनके जीवन को संकटापन्न किया तथा उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण गरीब मजदूर व्यक्ति हैं, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गई।

बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी व अन्य चोटहिल जोकि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, उनको स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, उनका जीवन संकटापन्न किया गया तथा उन्हें भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर अपमानित किया गया, जिससे लोकशांति भंग होने का अंदेशा हुआ और उनको जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितों को सार्वजनिक स्थान पर भद्दी भद्दी गाली देकर अपमानित किया गया और उन्हें उपहति कारित की गई। चोटहिल अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार को **धारा–323/34** भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के आरोप में **1–1 (एक–एक) वर्ष** के साधारण कारावास एवं मु0 1,000–1,000 (एक–एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 (दस–दस) दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार को **धारा–336/34** भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के आरोप में **3–3 (तीन–तीन मास)** के साधारण कारावास एवं मु0 1,00–1,00 (सौ–सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा 5–5 (पांच–पांच) दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार को **धारा–504** भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के आरोप में **1–1 (एक–एक) वर्ष** के साधारण कारावास एवं मु0 1,000–1,000 (एक–एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड

अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 (दस–दस) दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार को **धारा–506** भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के आरोप में **2–2 (दा–दो) वर्ष** के साधारण कारावास एवं मु0 2,000–2,000 (दो–दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा 20–20 (बीस–बीस) दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

अभियुक्तगण बेचू यादव, बब्लू यादव व सुनील कुमार को धारा–3(1)**x** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के तहत अपराध के आरोप में **3–3 (तीन–तीन) वर्ष** के साधारण कारावास एवं मु0 3,000–3,000 (तीन–तीन हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा **एक–एक मास** का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

सभी दण्ड साथ–साथ प्रचलित होंगे तथा अभियुक्तगण द्वारा दौरान विचारण कारागार में बितायी गई अवधि, सजा में नियमानुसार समायोजित की जाएगी।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा अभियुक्तगण को तद्नुसार दण्ड भोगने हेतु अधिपत्र कारागार प्रेषित हो।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–365 के प्राविधानों के तहत इस निर्णय की एक प्रति आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर को प्रेषित की जाए।

दिनांकः–09.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ कोड–यू.पी.1874

आज, निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–09.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ कोड–यू.पी.1874